अध्याय – 3

परिचय

1. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का संगठन एवं कार्य क्षेत्र

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का सृजन वानिकी अनुसंधान को प्रतिपादित, सुगठित, निदेशित तथा संचालित करने; राज्यों तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्सियों को विकसित की गई प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण तथा वानिकी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।

परिषद के मुख्य उद्देश्य है : (क) वानिकी शिक्षा अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देना और समन्वयन करना (ख) वानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना केन्द्र को विकसित करना और उसका रख-रखाव करना (ग) वनों और वन्य प्राणियों से संबंधित सामान्य सूचना और अनुसंधान के लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना (घ) वन विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उन्हें जन संचार, श्रव्य-दृश्य माध्यमों और विस्तार मशीनरी द्वारा प्रसारित करना (ङ) वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और (च) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्र के विभिन्न जैव भोगौलिक क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके अलग-अलग भागों में परिषद् के आठ अनुसंधान संस्थान एवं तीन उन्नत केन्द्र हैं। यह केन्द्र देहरादून, शिमला, इलाहाबाद, रांची, जोरहाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, जोधपुर, हैदराबाद, बंगलौर एवं कोयम्बटूर में स्थित हैं। इन केन्द्रों के कार्यकलापों का वर्णन आगामी अध्यायों में किया गया है।

2. अनुसंधान सूत्रपात

वानिकी अनुसंधान में मुख्यतः आनुवांशिकी एवं वन संवर्धनिक सुधार, बंजरभूमि के उपचार, वन पारितंत्रों के संरक्षण, काष्ठ विकल्पों, जनजातीय विकास तथा सामाजिक वानिकी द्वारा उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

संसाधनों के दबाव को देखते हुए यथोचित प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के बाद एक राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना (एन.एफ.आर.पी.) विकसित की जा रही है। प्राथमिकतायें तथा संसाधन आबंटन सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समितियां गठित की गई हैं जिसमें सभी राज्य वन विभागों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत संघ के विभिन्न राज्यों में सेमिनार/कार्यशालायें आयोजित करके क्षेत्रीय प्राथमिकतायें निर्धारित की जा रही हैं।

विश्व बैंक परियोजना के अर्न्तगत विभिन्न राज्यों में वन विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। गत साढ़े तीन सालों के दौरान 226 परियोजनाओं के लिए रु० 16.87 करोड़ स्वीकृत किए गए।

वनीकरण/पुनर्वनरोपण उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवक्ता रोपण स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों को बीज उत्पादन क्षेत्रों, क्लोनीय बीजोद्यानों, पौध बीजोद्यानों तथा कायिक गुणन उद्यानों की स्थापना के लिए, धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

आधुनिक नर्सरी कार्यक्रम का क्रियान्वयन चल रहा है जिसमें जड़ ट्रेनर एक महत्वपूर्ण घटक है। यह नर्सरी स्टॉक के उत्पादन तथा क्षेत्र में इनकी स्थापना व वृद्धि में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देगा।

यदि राज्य भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अनुसंधान कार्यक्रमों में सक्रियता एवं उत्साहपूर्वक भागीदारी करे तो वे अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं तथा उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं का स्वयं उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधाएं बिना अधिक निवेश किए परिषद् के विभिन्न संस्थानों में वहन योग्य लागत पर उपलब्ध हैं। इनमें परिषद् द्वारा स्थापित अत्यन्त परिष्कृत उन उपकरणों के उपयोग जिन्हें स्थापित करने में राज्य असमर्थ हैं, शामिल हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् हरा प्रायोजित अनुसंधान भी स्वीकार किए जाते है।

3. प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण (विस्तार कार्यकलाप)

राज्य सरकारों, वन आधारित उद्योगों, बेरोजगार युवकों तथा अन्य उपयोगकर्ता अधिकरणों के लिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् द्वारा विकसित पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, अपनी आप बढ़ाने के असाधारण अवसर उपलब्ध हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ देश के वन संसाधनों एवं जैवविविधता के संरक्षण में एक लम्बा मार्ग भी तय करेंगी।

वर्तमान में 34 (चौंतीस) परीक्षित प्रौद्योगियां हस्तान्तरण के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से सात प्रौद्योगिकियां कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत उगाई गई गौण रोपण प्रजातियों के उपयोग, तीन उत्पादों में उपयोगिता परिवर्धन के लिए, 13 वन उत्पादकता सुधारने के लिए, 7 अल्प उत्पादों के विकल्प/नए उत्पादों के लिए और 4 पर्यावरणीय संरक्षण/सुधार से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, विस्तार सहायता निधि के अन्तर्गत इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं में वित्त प्रबन्ध करके इन्हें अपनाने में राज्यों की सहायता कर रही है। इन परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा बेरोजगार युवकों के लिए ठेकेदारी द्वारा रोजगार का सृजन करना शामिल है।

इस समय राज्यों के पास विस्तार के व्यवहार्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए यह अनिवार्य है कि वे विस्तार अवसंरचना विकसित करने के लिए इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दें तथा अनुसंधान परिणामों के लाभ लोगों को उपलब्ध करायें।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र जानकारी का भण्डार है। यह इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क द्वारा राज्य वन विभागों, विश्वविद्यालयों आदि को जानकारी उपलब्ध कराता है।

4. वानिकी शिक्षा

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् वानिकी अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सुविज्ञता उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान की गति तेज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वानिकी पाठ्यक्रमों का विकास तथा वानिकी शिक्षा प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरुप एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है।

वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की अवसंरचना एवं तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायक अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 1990-91 से 1997-98 के बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों को कुल 754.50 लाख रूपये का सहायक अनुदान दिया गया।

वनविदों/वैज्ञानिकों एवं अन्यों की वानिकी क्षेत्र में शैक्षिक प्रगति के लिए अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 300 व्यक्ति पी.एच.डी. डिग्री के लिए व०अ०स० सम-विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं। वरिष्ठ अध्येता, कनिष्ठ अध्येता तथा शोध सहायकों की संख्या क्रमश: 14, 125 और 27 है।

परिषद ''वानिकी'' (अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन) तथा ''काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'' में दो वर्ष की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों को चला रही है। इसके अतिरिक्त ''कागज एवं लुगदी प्रौद्योगिकी'' एवं ''रोपण प्रौद्योगिकी'' में एक वर्ष की अवधि के दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

वनविदों/वैज्ञानिकों के लिए वानिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान विधियों में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा-विश्व बैंक, यू.एन.डी.पी., एफ.ए.ओ., आई.डी.आर.सी. यू.एस.डी.ए. आदि के सहयोग से विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

अनुसंधान प्रबन्धन, मानव संसाधन विकास, कम्प्यूटर दक्षता तथा अनुसंधान कार्य पद्धति जैसे सामयिक विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।